

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला-जोधपुर

व इजलास-मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी

अजवानी

बनाम

सरकार

अप्रार्थी

किस्म मुकदमा 136 एल.आर. एक्ट

प्रकरण संख्या :- 113 / 2024

-:आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी

अजवानी

पुत्री

श्री पम्पलाल

जाति... शेखावत... निवासी... बिलाड़ा... तहसील बिलाड़ा,

जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकर्ड में नाम दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जाँच हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाड़ा से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाड़ा ने अवगत करवाया है कि ग्राम ... बिलाड़ा... की जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 के खाता सं... 144... में दर्ज अशुद्ध नाम ... अजवानी पुत्री ... पम्पलाल जाति ... शेखावत निवासी ... बिलाड़ा... का शुद्ध नाम ... अजवानी पुत्री ... पम्पलाल जाति ... शेखावत निवासी ... बिलाड़ा... की राजस्व रेकर्ड में शुद्ध किये जाने हेतु सहमत है। अतः जाँच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट का स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

18/07/24  
उप खण्ड अधिकारी  
बिलाड़ा